समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध पुनरीक्षण (जमाबन्दी) संख्या–02/2013

सुभाष चन्द्र महतो एवं अन्य

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य

–::आदेश::–

31.01.2019

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। इसी वाद से संबंधित अपर समाहर्त्ता, बोकारो के न्यायालय द्वारा वाद सं0–28/2011–12 में दिनांक–17.03.2012 को आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता श्री सुभाष चन्द्र महतो एवं अन्य के द्वारा माननीय् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में विविध पुनरीक्षण वाद सं0–20/2012 सुभाष चन्द्र महतो एवं अन्य–बनाम्–मो0 सिराजुद्दीन अंरारी एवं अन्य दायर किया गया था। इस पुनरीक्षण वाद के सुनवाई के क्रम में प्रश्नगत वाद में अंकित जमाबन्दी की विस्तृत जॉच करने और यदि प्रश्नगत जमाबन्दी अवैध है, जैसा कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा वर्णित है, तो उक्त जमाबन्दी के विषय पर सभी पक्षों को सुनते हुए इस न्यायालय को उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

इस संदर्भ में उभय पक्षों को विस्तृत रूप से सुना गया। अभिलेख में संधारित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम भण्डरो, थाना सं0–111 अन्तर्गत खाता सं0–343 कुल रकवा–2.38 एकड एवं खाता सं0–340 कुल रकवा–2.79 एकड़ सर्व खतियान में पुशु महतो, पिता–जगन महतो एवं गुहीराम महतो, पिता–मगन महतो बगै0 के नाम पर दर्ज है, जो रैयती खाते की है। जिसकी जमाबंदी खतियानी रैयत/वंशज के नाम कायम नहीं है। पंजी–।। के अवलोकन में पाया गया कि जमाबंदी सं0–555/।।। पर खाता सं0–340, 343 का जमाबंदी इमामबक्श मियां के नाम दर्ज है, जिसमें जमाबंदी कायम हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का कोई आदेश अंकित नहीं है और न ही रकवा का कोई उल्लेख है। जमाबंदी में प्रथम लगान रसीद वर्ष 1969–70 में निर्गत एवं अंतिम लगान रसीद वर्ष 1988–89 में निर्गत अंकित है। जमाबंदी रैयत के वंशज सिराजुद्दीन अंसारी (द्वितीय पक्ष) के द्वारा अंचल अधिकारी को समर्पित केवाला सं0–11,

C. C. Issued Vide
No. 565 Dated 23/2/19

C. C. Issued Vide
No. 729 Dated 27/2/19

दिनांक–06.01.1923 की सत्यापित प्रतिलिपि एवं लगान रसीद के अवलोकन में पाया गया कि उक्त केवाला को सर्वेश्वर सरकार (खेवटदार) द्वारा इमामबक्श मियां को भूमि लिखा गया है। केवाला में खाता सं0 एवं रकवा का भी कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान समय में उक्त भूमि के अंश भाग पर प्राथमिक विद्यालय संथालडीह तथा एक तालाब भी बना हुआ है एवं शेष भूमि परती है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं दलीलों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत जमाबंदी किस आधार पर सृजित हुई, यह स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत जमाबंदी का यह मामला काफी पुराना (लगभग 48 वर्ष) है। संदेह के आधार पर इतने लंबे समय से चल रहे जमाबंदी को रद्ध नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह विषय भूमि के स्वत्त्व से संबंधित है तथा पूर्णतः रैयति भूमि से संबंधित है। स्वत्त्व निर्धारण से संबंधित मामलों का निष्पादन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

वर्णित परिस्थिति में आवेदक यदि चाहें तो स्वत्त्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इस विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

समाहर्त्ता सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 752 Dated 20/2/19

C. C. Issued Vide
No. 725 Dated 20/2/19

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.06 15:20:42 +05:30
Location: 192.168.1.100